स्थानीय सरकार

प्रलिम्सि के लिये:

स्थानीय सरकारें, 73वाँ संविधान संशोधन, 74वाँ संशोधन अधिनियिम (1992)।

मेन्स के लिये:

पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश भर के राज्य चुनाव आयोगों द्वारा हर पाँच वर्ष में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्वों को अच्छे से निभाना चाहिये।

- चुनाव आयोग चुनाव कराने की जल्दबाज़ी के कारण परिसीमन की प्रक्रिया या नए वार्डों के गठन जैसे आधारों को **रद्द नहीं कर सकता है**।
- न्यायालय ने पाया कि **23,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों** के अलावा **मध्य प्रदेश में 321 शहरी स्थानीय निकायों में 2019-2020 के बाद से चुनाव नहीं** हुए।

स्थानीय सरकार:

- **परिचय:**
  - स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं।
  - स्थानीय स्वशासन में **ग्रामीण और शहरी** दोनों सरकारें शामिल हैं।
  - यह सरकार का **तीसरा स्तर** है।
  - स्थानीय सरकारें 2 प्रकार की होती हैं - **ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें** और **शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ**।
- **ग्रामीण स्थानीय निकाय:**
  - पंचायती राज संस्था (PRIs) भारत में **ग्रामीण स्थानीय स्वशासन** की एक प्रणाली है।
  - पीआरआई को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लिये संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
    - इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा है। इस भाग में 'पंचायतों' के लिये किये **(अनुच्छेद 243 से 243-O तक)** गए प्रावधान शामिल हैं।
    - इसके अलावा अधिनियम ने संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। यह अनुच्छेद **243-G** से संबंधित है।
  - अपने वर्तमान स्वरूप और संरचना में PRIs ने अपने अस्तित्व के 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं। हालाँकि ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये आगे बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
- **'शहरी स्थानीय निकाय:**
  - शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई है।
  - भारत में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय विद्यमान हैं- नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी।
  - केंद्रीय स्तर पर 'नगरीय स्थानीय शासन या निकाय' का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है।
    - वर्ष 1985 में शहरी विकास मंत्रालय (अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया गया था।
    - छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय।
    - केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय।
  - वर्ष 1992 में शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वाँ संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया जो 1 जून, 1993 को लागू हुआ।

- इसके द्वारा सवधिान में भाग IX-A को जोड़ा गया जसिमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामलि हैं।
- जोड़ा गया भाग IX-A और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामलि हैं।
- संवधिान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालकिाओं से संबंधति 18 वषिय शामलि हैं तथा ये अनुच्छेद 243-W से संबंधति हैं।

73वें संवधिान संशोधन की मुख्य वशिेषताएँ:

- **अनविार्य प्रावधान:**
  - ग्राम सभाओं का गठन।
  - ज़लिा, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रस्तिरीय पंचायती राज संरचना का नर्िमाण।
  - लगभग सभी पद, सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे।
  - पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21वर्ष होनी चाहयि।
  - ज़लिा एवं प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष का पद अप्रत्यक्ष नर्िवाचन द्वारा भरा जाना चाहयि।
  - पंचायतों में अनुसूचति जातयिों/अनुसूचति जनजातयिों के लयि उनकी जनसंख्या के अनुपात में और पंचायतों में महलिाओं के लयि एक-तहिाई सीटें आरक्षति होनी चाहयि।
  - पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लयि प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन कयिा जाएगा।
  - पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष है, यद इिन्हें पहले भंग कर दयिा जाता है, तो छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने होंगे।
  - प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रत्येक राज्य में एक राज्य वति्त आयोग का गठन कयिा जाना।
- **स्वैच्छकि प्रावधान:**
  - इन नकिायों में केंद्र और राज्य वधिानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधकिार देना।
  - पंचायती राज संस्थाओं को कर, शुल्क आद कि संबंध में वति्तीय अधकिार दयि जाने चाहयि तथा पंचायतों को स्वायत्त नकिाय बनाने का प्रयास कयिा जाएगा।

74वें संशोधन अधनियिम की मुख्य वशिेषताएँ:

- **अनविार्य:**
  - छोटे, बड़े और बहुत बड़े शहरी क्षेत्रों में क्रमशः नगर पंचायतों, नगर परषिदों व नगर नगिमों का गठन।
  - अनुसूचति जातयिों/अनुसूचति जनजातयिों के लयि शहरी स्थानीय नकिायों में सीटों का आरक्षण मोटे तौर पर उनकी आबादी के अनुपात में।
  - एक-तहिाई सीटें महलिाओं के लयि आरक्षति;
  - पंचायती राज नकिायों में चुनाव कराने के लयि गठति राज्य नर्िवाचन आयोग (73वाँ संशोधन) शहरी स्थानीय स्वशासी नकिायों के लयि भी चुनाव कराएगा।
  - पंचायती राज नकिायों के वति्तीय मामलों से नपिटने के लयि गठति राज्य वति्त आयोग स्थानीय शहरी स्वशासी नकिायों के वति्तीय मामलों को भी देखता है।
  - शहरी स्थानीय स्वशासी नकिायों का कार्यकाल पाँच वर्ष नर्िधारति कयिा गया है और पहले वघिटन के मामले में छह महीने के भीतर नए चुनाव होते हैं।
- **स्वैच्छकि:**
  - इन नकिायों में संघ और राज्य वधिानमंडलों के सदस्यों को मतदान का अधकिार देना।
  - पछिड़े वर्गों के लयि आरक्षण प्रदान करना।
  - करों, शुल्कों, टोल और शुल्कों आद कि संबंध में वति्तीय अधकिार देना।
  - नगर नकिायों को स्वायत्त बनाना और इन नकिायों को इस अधनियिम के माध्यम से संवधिान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में शामलि कुछ या सभी कार्यों को करने और/या आर्थकि वकिास के लयि योजनाएँ तैयार करने की शक्तयिाँ प्रदान करना।

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन कसि गुण की सर्वाधकि सटीक व्याख्या करता है? (2017)

(a) संघवाद
(b) लोकतांत्रकि वकिेंद्रीकरण
(c) प्रशासनकि प्रतनिधिमिंडल
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/local-governments-1